न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 155 / 2023

1 शिशपाल उम्र व्यस्क पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी ग्राम चन्दवा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 रामजीलाल उम्र 60 साल पुत्र स्व. गोपाल जाति जाट निवासी ग्राम चन्दवा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।
2 बीरबल पुत्र श्री गोपाल जाति जाट निवासी चन्दवा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।
2/1 उम्मेद उम्र व्यस्क पुत्री स्व. बीरबल पत्नी रिछपाल जाति जाट निवासी रामसरा तहसील व जिला चुरू राज.।
2/2 सन्तोष उम्र व्यस्क पुत्री स्व. बीरबल पत्नी फुलचन्द जाति जाट निवासी रामसरा तहसील व जिला चुरू राज.।
2/3 माया उम्र व्यस्क पुत्री स्व. बीरबल पत्नी रामस्वरूप निवासी सीगड़ी तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं राज.।
2/4 बबीता उम्र व्यस्क पुत्री स्व. बीरबल पत्नी महेन्द्र जाति जाट निवासी तौगडा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
2/5 मुन्नी उम्र व्यस्क पुत्री स्व. बीरबल पत्नी धर्मेन्द्र जाति जाट निवासी तौगड़ा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
2/6 राजकुमार उम्र व्यस्क पुत्र स्व. बीरबल जाति जाट निवासी चन्दवा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।
3 श्रवण पुत्र गोपाल जाति जाट निवासी चन्दवा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।
4 प्रवीण उम्र व्यस्क पुत्र स्व. हरिसिंह उर्फ हरिश जाति जाट निवासी चन्दवा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।
5 शकुन्तला उम्र व्यस्क पत्नी स्व. हरिसिंह उर्फ हरिश जाति जाट निवासी चन्दवा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

6 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार झुन्झुनूं जिला झुन्झुनूं।
7 झुन्झुनूं सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय डिक्री दिनांक 08.11.2011
बमुकदमें रामजीलाल बनाम बीरबल आदि दावा
बाबत विभाजन, घोषणार्थ मु.नं. 90/2006 न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी महोदय झुन्झुनूं

अपील संख्या 154/2023

1 शिशपाल उम्र व्यस्क पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी ग्राम चन्दवा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 रामजीलाल उम्र 60 साल पुत्र स्व. गोपाल जाति जाट निवासी ग्राम चन्दवा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।
2 बीरबल पुत्र श्री गोपाल जाति जाट निवासी चन्दवा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।
2/1 उम्मेद उम्र व्यस्क पुत्री स्व. बीरबल पत्नी रिछपाल जाति जाट निवासी रामसरा तहसील व जिला चुरू राज.।
2/2 सन्तोष उम्र व्यस्क पुत्री स्व. बीरबल पत्नी फुलचन्द जाति जाट निवासी रामसरा तहसील व जिला चुरू राज.।
2/3 माया उम्र व्यस्क पुत्री स्व. बीरबल पत्नी रामस्वरूप निवासी सीगड़ी तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं राज.।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

2/4 बबीता उम्र व्यस्क पुत्री स्व. बीरबल पत्नी महेन्द्र जाति जाट निवासी तौगडा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
2/5 मुन्नी उम्र व्यस्क पुत्री स्व. बीरबल पत्नी धर्मेन्द्र जाति जाट निवासी तौगड़ा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
2/6 राजकुमार उम्र व्यस्क पुत्र स्व. बीरबल जाति जाट निवासी चन्दवा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।
3 श्रवण पुत्र गोपाल जाति जाट निवासी चन्दवा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।
4 प्रवीण उम्र व्यस्क पुत्र स्व. हरिसिंह उर्फ हरिश जाति जाट निवासी चन्दवा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।
5 शकुन्तला उम्र व्यस्क पत्नी स्व. हरिसिंह उर्फ हरिश जाति जाट निवासी चन्दवा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।
6 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार झुन्झुनूं जिला झुन्झुनूं।
7 झुन्झुनूं सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय व डिकी दिनांक 15.12.2011
बमुकदमें रामजीलाल बनाम बीरबल आदि दावा
बाबत विभाजन, घोषणार्थ मु.नं. 90/2006 न्याया.
उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं

अपील संख्या 66/2022

1 शिशपाल उम्र व्यस्क पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी ग्राम चन्दवा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

बनाम

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

1 नोरंग उम्र 87 साल पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी ग्राम चन्दवा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.। दौराने अपील मृतक
1/1 रामचन्द्र पुत्र नोरंग (नोरंग के जीवनकाल में मृत्यु)
1/2 लक्ष्मीनारायण पुत्र नोरंग
1/3 काशीराम पुत्र नोरंग
1/4 मोहनलाल पुत्र नोरंग
1/5 विद्या देवी पुत्री नोरंग समस्त जाति जाट निवासी ग्राम चन्दवा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।
1/1/1 भगवानी देवी पत्नी रामचन्द्र
1/1/2 पूनम सिंह पुत्र रामचन्द्र
1/1/3 सरिता पुत्री रामचन्द्र
1/1/4 सुमन पुत्री रामचन्द्र
1/1/5 ललीता पुत्री रामचन्द्र
समस्त जाति जाट निवासी ग्राम चन्दवा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।
2 बजरंग उम्र 60 साल पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी ग्राम चन्दवा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।
3 राधेश्याम उम्र 55 साल पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी ग्राम चन्दवा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।
4 रमेश उम्र 45 साल पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी ग्राम चन्दवा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।
5 रामजीलाल उम्र 60 साल पुत्र स्व. गोपाल जाति जाट निवासी ग्राम चन्दवा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।
6 उम्मेद उम्र व्यस्क पुत्री स्व. बीरबल पत्नी रिछपाल जाति जाट निवासी रामसरा तहसील व जिला चुरू राज.।
7 सन्तोष उम्र व्यस्क पुत्री स्व. बीरबल पत्नी फुलचन्द जाति जाट निवासी रामसरा तहसील व जिला चुरू राज.।
8 माया उम्र व्यस्क पुत्री स्व. बीरबल पत्नी रामस्वरूप निवासी सीगड़ी तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं राज.।
9 बबीता उम्र व्यस्क पुत्र स्व. बीरबल पत्नी महेन्द्र जाति जाट निवासी सींगड़ी तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं राज.।
10 मुन्नी उम्र व्यस्क पुत्री स्व. बीरबल पत्नी धर्मेन्द्र जाति जाट निवासी तौगड़ा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

11 राजकुमार उम्र व्यस्क पुत्र स्व बीरबल जाति जाट निवासी ग्राम चन्दवा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।

12 प्रवीण उम्र व्यस्क पुत्र स्व. हरिसिंह उर्फ हरिश जाति जाट निवासी ग्राम चन्दवा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।

13 शकुन्तला उम्र व्यस्क पत्नी स्व. हरिसिंह उर्फ हरिश जाति जाट निवासी ग्राम चन्दवा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।

14 पवन उम्र व्यस्क पुत्र स्व. गोपाल जाति जाट निवासी ग्राम चन्दवा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।

15 चन्द्रावली उम्र व्यस्क पुत्री स्व. गोपाल व मुलकी पत्नी फुलचन्द निवासी ढीगाल तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।

16 परवती उम्र व्यस्क पुत्री स्व. गोपाल मुलकी पत्नी सरदाराराम जाति जाट निवासी अनगासर तहसील व जिला झुन्झुनूं राज.।

17 उर्मिला उम्र व्यस्क पुत्री हरलाल पत्नी रामकरण जाति जाट निवासी ग्राम चन्दवा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज. हाल निवासी बीड की ढाणी तहसील व जिला चुरू।

18 सरदेई उम्र व्यस्क पुत्री स्व. हरलाल पत्नी केशर जाति जाट निवासी ग्राम चन्दवा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज. हाल निवासी बीड की ढाणी तहसील व जिला चुरू।

19 सुमित्रा देवी उम्र व्यस्क पत्नी स्व. हरिसिंह जाति जाट निवासी कुलहरियों की ढाणी तहसील बिसाउ जिला झुन्झुनूं राज.।

20 प्रबन्धक बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक गांगीयासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी महोदय
झुन्झुनूं उनवानी विभाजन अनुबन्ध शिशुपाल वगै
निर्णय दिनांकित 29.05.1992 मु.नं. 471/1992

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री राजेश कुमार सुण्डा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महिपाल सिंह कपुरिया, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री रोहन सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 18/6/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं द्वारा मुकदमा नम्बर 90/2006, 471/1992 में पारित निर्णय दिनांक 08.11.2011, 15.12.2011 व 29.05.1992 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। उक्त तीनों पत्रावलियों में पक्षकार व विवादित भूमि समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि खसरा नम्बर 99, 84, 81, 106, 77 व 103/02 कुल रकबा 121 बीघा 17 बिस्वा, खेताराम स्व. गोपाल व स्व. गोरखा राम की पैतृक भूमि रही है, जिनका उक्त भूमि में प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा था। स्व. गोरखाराम के पुत्र स्व. हरलाल ने उक्त खसरा नम्बर की भूमियों में से खसरा नम्बर 77 में से अपने 1/3 हिस्से में से 10 बीघा 15 बिश्वा भूमि दिनांक 12.06.1972 को सरदाराराम पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी चन्दवा को विक्रय कर दी, तथा बाद में उक्त 10 बीघा 15 बिश्वा भूमि को सरदाराराम ने शिशपाल अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट श्रवण को विक्रय कर दी, इस प्रकार अपीलान्ट के खसरा नम्बर 77 में से 5 बीघा 7.5 बीश्वा भूमि अतिरिक्त हो गई, तथा अपीलान्ट ने अपनी खरीदशुदा भूमि का नामान्तकरण भी अपने हक में तस्दीक करवा लिया है, इस प्रकार से ग्राम चन्दवा में स्थित खसरा नम्बर 99, 80, 84, 81, 106, 77, 103/7 कुल रकबा 121 बीघा 17 बिश्वा में अपीलान्ट के पिता का 1/3 वां हिस्सा विरासतन है, तथा स्व खेताराम के अपीलान्ट व

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील भू-प्रबन्ध सीकर (कैम्प)

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नौरंगराम विधिक वारीस है, इस प्रकार उक्त आराजियात में अपीलान्ट का 1/3 से 1/2 वा हिस्सा विरासतन प्राप्त हुआ, तथा अपीलान्ट ने खसरा नम्बर 77 में से 5 बीघा 7.5 बीश्वा भूमि सरदाराराम से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय कर ली। अतः अपीलान्ट के हिस्से में विरासतन 1/3 वे हिस्सा में से 1/2 वां हिस्सा तथा अतिरिक्त खरीदशुदा भूमि 5 बीघा 7.5 बिश्वा ओर अधिक हो गई, जिस पर अपीलान्ट का कब्जा है, व काश्त करता है, व खरीदशुदा भूमि का नामान्तकरण भी अपीलान्ट के हक में तस्दीक हो गया था। दिनांक 09.05.1992 को गोपाल, हरलाल, श्रवण व रामजीलाल ने आपस में साज कर अपीलान्ट को मुगालते में रखकर कैम्प में खाता विभाजन हिस्से अनुसार करवाने की कहकर एक विभाजन अनुबन्ध मय प्रार्थना पत्र पेश करवाया। अपीलान्ट ग्रामीण देहात का व्यक्ति होने व कम पढ़ा लिखा होने व अपीलान्ट की माता मोहरी देवी अनपढ़ होने के कारण उक्त व्यक्तियों की चालाकी समझ नहीं पाई ओर विभाजन अनुबन्ध पत्र सम्पूर्ण भूमि का पेश करवा दिया जिसमें अपीलान्ट द्वारा खरीदशुदा भूमि को भी शामिल कर दिया, उक्त प्रकार से अनुबन्ध पत्र पेश होने पर तत्कालीन तहसीलदार ने अपीलान्ट को पुछा व अपीलान्ट को समझाया तो अपीलान्ट को उक्त व्यक्तियों की चालाकी समझ में आई तथा तहसीलदार ने दिनांक 20.05.1992 को विभाजन अनुबन्ध सह खातेदारों के विभाजन की भूमि में अन्तर अधिक है, अतः मैं इस विभाजन से सहमत नहीं हूं, की टिप्पणी के साथ विभाजन अनुबन्ध स्वीकार नहीं किया ओर अपीलान्टस आश्वस्त हो गया कि अपीलान्ट की भूमि का गलत विभाजन नहीं होगा। उसके बाद उक्त वर्णित व्यक्तियों ने दिनांक 20.05. 1992 को कैम्प में दिये गये प्रार्थना पत्र को बेईमानी से दिनांक 22.05. 1992 को अपीलान्ट को बीना बताये दिनांक 20.05.1992 को पेश किया गया प्रार्थना पत्र पुनः विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं के समक्ष पेश कर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी को मुगालते में रख कर दिनांक 29.05.1992 को अपीलान्ट को बीना जानकारी दिये ही पूर्व में खारिज किये गये अनुबन्ध को स्वीकार करवा लिया, ओर अपीलान्ट की खरीदशुदा भूमि को स्व. गोपाल व रेस्पोडेन्ट श्रवण ने अपने हिस्से में दर्ज करवा लिया, तथा गलत रिकार्ड अपने हक में बनवा लिया, जबकि कायदे से अपीलान्ट के हक में सम्पूर्ण भूमि में से 1/3 वें हिस्से में से 1/2 वे हिस्से के अलावा खरीदी गई भूमि 5 बीघा 7.5 बिश्वा अतिरिक्त होनी

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

चाहिए थी। उक्त प्रकार से गलत रिकार्ड बन जाने की जानकारी अपीलान्ट को होने पर अपीलान्ट ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं को प्रार्थना पत्र देकर विभाजन अनुबन्ध को निरस्त करने व दुबारा विभाजन हिस्से अनुसार करने का निवेदन किया, जिसको दिनांक 09.06.2006 को विचारण न्यायालय उपख़ण्ड अधिकारी झुन्झुनूं ने नामान्तकरण संख्या 345 में हस्तक्षेप करने से ईन्कार कर दिया, व अपीलान्ट को नामान्तकरण के खिलाफ सक्षम अदालत में चाराजोही करने का निर्देश दिया। अपीलान्ट ने उक्त प्रकार से विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं के निर्देशानुसार गलत विभाजन अनुबन्ध के आधार पर भरा गया नामान्तकरण संख्या 345 दिनांक 05.06.1992 की अपील जिला कलक्टर झुन्झुनूं की अदालत में अपील संख्या 47/2006 उनवानी शिशपाल बनाम रामजीलाल वगै. प्रस्तुत की जो दिनांक 03.04.2007 को स्वीकार हुई तथा उक्त न्यायालय द्वारा नामान्तकरण संख्या 345 को अस्वीकार कर दुबारा हिस्से अनुसार रिकार्ड बनाये जाने के निर्देश के साथ पत्रावली तहसीलदार झुन्झुनूं को भिजवाई गई। उक्त अपील आदेश के खिलाफ रामजीलाल वगै. ने अपील संख्या 05/2007 बउनवानी रामजीलाल वगे. बनाम शीशपाल वगै. श्रीमान संभागीय आयुक्त जयपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की जिसमें उक्त न्यायालय ने दिनांक 06.12.2007 को यह कह कर स्वीकार कर दी कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के निर्णय की अपील राजस्व अपील अधिकारी को हो सकेगी, कलक्टर ने नामान्तकरण मे अनावश्यक हस्तक्षेप किया है। विचारण न्यायालय द्वारा दावा संख्या 471/1992 में पारित निर्णय दिनांक 29.05.1992 के विरूद्ध अपील संख्या 66/2022 धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। उक्त कार्यवाही के दौरान अपीलान्ट को नुकसान पहुचाने की गरज से एक दावा उनवानी रामजीलाल बनाम बीरबल वगै. रेस्पोडेन्ट रामजीलाल ने अपीलान्ट को बीना पक्षकार बनाये मु.नं. 90/2006 विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं के न्यायालय में प्रस्तत किया जिसमें अपीलान्ट ने जानकारी होने पर पक्षकार बनने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसको विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं ने अस्वीकार कर दावा दिनांक 08.11.2011 को प्राथमिक रूप से राजीनामा के आधार पर डिक्री कर दिया तथा दिनांक 15.12.2011 को अंतिम डिक्री कर दिया इस प्रकार से रेस्पोडेन्ट रामजीलाल अन्य रेस्पोडेन्टगण के साथ साज कर उक्त अनुसार दावा डिक्री करवा लिया।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उक्त अनुसार दावा डिक्री होने पर अपीलान्ट ने प्राथमिक डिक्री व अंतिम डिक्री के खिलाफ राजस्व अपील अधिकारी सीकर की अदालत में अपील उनवानी शिशपाल बनाम रामजीलाल वगै. मु.नं. 153/2011 प्रस्तुत की जिसका निर्णय दिनांक 24.07.2012 को हुआ, राजस्व अपील अधिकारी महोदय ने अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं के प्राथमिक निर्णय दिनांक 08.11.2011 व अंतिम निर्णय दिनांक 15.12.2011 को निरस्त कर दिया व अपीलान्ट को पक्षकार बनाया जाकर पुनः निर्णय पारित किये जाने का आदेश इस न्यायालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं को दिया। जिसके खिलाफ रामजीलाल वगै. ने एक अपील संख्या 6545/2012 बउनवानी रामजीलाल बनाम शिशपाल वगै. न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर मे प्रस्तुत की थी। जहां से प्रकरण इस न्यायालय को धारा 96 सीपीसी निर्णित कर गुणावगुण पर निर्णय हेतु रिमांड होकर प्राप्त हुई है। जो अपील संख्या 154/2023 एवं 155/2023 के रूप में दर्ज की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि खसरा नम्बर 99, 84, 81, 106, 77 व 103/02 कुल रकबा 121 बीघा 17 बिस्वा, खेताराम स्व. गोपाल व स्व. गोरखा राम की पैतृक भूमि रही है, जिनका उक्त भूमि में प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा था। स्व. गोरखाराम के पुत्र स्व. हरलाल ने उक्त खसरा नम्बर की भूमियों में से खसरा नम्बर 77 में से अपने 1/3 हिस्से में से 10 बीघा 15 बिश्वा भूमि दिनांक 12.06.1972 को सरदाराराम पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी चन्दवा को विक्रय कर दी, तथा बाद में उक्त 10 बीघा 15 बिश्वा भूमि को सरदाराराम ने शिशपाल अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट श्रवण को विक्रय कर दी, इस प्रकार अपीलान्ट के खसरा नम्बर 77 में से 5 बीघा 7.5 बीश्वा भूमि अतिरिक्त हो गई, तथा अपीलान्ट ने अपनी खरीदशुदा भूमि का नामान्तकरण भी अपने हक में तस्दीक करवा लिया है, इस प्रकार से ग्राम चन्दवा में स्थित खसरा नम्बर 99, 80, 84, 81, 106, 77, 103/7 कुल रकबा 121 बीघा 17 बिश्वा में अपीलान्ट के पिता का 1/3 वां हिस्सा विरासतन है, तथा स्व खेताराम के अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नौरंगराम विधिक वारीस है, इस प्रकार उक्त आराजियात में अपीलान्ट का 1/3 से 1/2 वा हिस्सा विरासतन प्राप्त हुआ, तथा अपीलान्ट ने खसरा नम्बर 77 में से 5 बीघा 7.5 बीश्वा

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भूमि सरदाराराम से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय कर ली। अतः अपीलान्ट के हिस्से में विरासतन 1/3 वे हिस्सा में से 1/2 वां हिस्सा तथा अतिरिक्त खरीदशुदा भूमि 5 बीघा 7.5 बिश्वा ओर अधिक हो गई, जिस पर अपीलान्ट का कब्जा है, व काश्त करता है, व खरीदशुदा भूमि का नामान्तकरण भी अपीलान्ट के हक में तस्दीक हो गया था। दिनांक 09.05.1992 को गोपाल, हरलाल, श्रवण व रामजीलाल ने आपस में साज कर अपीलान्ट को मुगालते में रखकर कैम्प में खाता विभाजन हिस्से अनुसार करवाने की कहकर एक विभाजन अनुबन्ध मय प्रार्थना पत्र पेश करवाया। अपीलान्ट ग्रामीण देहात का व्यक्ति होने व कम पढ़ा लिखा होने व अपीलान्ट की माता मोहरी देवी अनपढ़ होने के कारण उक्त व्यक्तियों की चालाकी समझ नहीं पाई ओर विभाजन अनुबन्ध पत्र सम्पूर्ण भूमि का पेश करवा दिया जिसमें अपीलान्ट द्वारा खरीदशुदा भूमि को भी शामिल कर दिया, उक्त प्रकार से अनुबन्ध पत्र पेश होने पर तत्कालीन तहसीलदार ने अपीलान्ट को पुछा व अपीलान्ट को समझाया तो अपीलान्ट को उक्त व्यक्तियों की चालाकी समझ में आई तथा तहसीलदार ने दिनांक 20.05. 1992 को विभाजन अनुबन्ध सह खातेदारों के विभाजन की भूमि में अन्तर अधिक है, अतः मैं इस विभाजन से सहमत नहीं हूं, की टिप्पणी के साथ विभाजन अनुबन्ध स्वीकार नहीं किया ओर अपीलान्टस आश्वस्त हो गया कि अपीलान्ट की भूमि का गलत विभाजन नहीं होगा। उसके बाद उक्त वर्णित व्यक्तियों ने दिनांक 20.05.1992 को कैम्प में दिये गये प्रार्थना पत्र को बेईमानी से दिनांक 22.05.1992 को अपीलान्ट को बीना बताये दिनांक 20.05.1992 को पेश किया गया प्रार्थना पत्र पुनः विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं के समक्ष पेश कर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी को मुगालते में रख कर दिनांक 29.05.1992 को अपीलान्ट को बीना जानकारी दिये ही पूर्व में खारिज किये गये अनुबन्ध को स्वीकार करवा लिया, ओर अपीलान्ट की खरीदशुदा भूमि को स्व. गोपाल व रेस्पोडेन्ट श्रवण ने अपने हिस्से में दर्ज करवा लिया, तथा गलत रिकार्ड अपने हक में बनवा लिया, जबकि कायदे से अपीलान्ट के हक में सम्पूर्ण भूमि में से 1/3 वें हिस्से में से 1/2 वे हिस्से के अलावा खरीदी गई भूमि 5 बीघा 7.5 बिश्वा अतिरिक्त होनी चाहिए थी। उक्त प्रकार से गलत रिकार्ड बन जाने की जानकारी अपीलान्ट को होने पर अपीलान्ट ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं को प्रार्थना पत्र देकर विभाजन

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अनुबन्ध को निरस्त करने व दुबारा विभाजन हिस्से अनुसार करने का निवेदन किया, जिसको दिनांक 09.06.2006 को विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं ने नामान्तकरण संख्या 345 में हस्तक्षेप करने से ईन्कार कर दिया, व अपीलान्ट को नामान्तकरण के खिलाफ सक्षम अदालत में चाराजोही करने का निर्देश दिया। अपीलान्ट ने उक्त प्रकार से विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं के निर्देशानुसार गलत विभाजन अनुबन्ध के आधार पर भरा गया नामान्तकरण संख्या 345 दिनांक 05.06. 1992 की अपील जिला कलक्टर झुन्झुनूं की अदालत में अपील संख्या 47/2006 उनवानी शिशपाल बनाम रामजीलाल वगै. प्रस्तुत की जो दिनांक 03.04.2007 को स्वीकार हुई तथा उक्त न्यायालय द्वारा नामान्तकरण संख्या 345 को अस्वीकार कर दुबारा हिस्से अनुसार रिकार्ड बनाये जाने के निर्देश के साथ पत्रावली तहसीलदार झुन्झुनूं को भिजवाई गई। उक्त अपील आदेश के खिलाफ रामजीलाल वगै. ने अपील संख्या 05/2007 बउनवानी रामजीलाल वगै. बनाम शीशपाल वगै. श्रीमान संभागीय आयुक्त जयपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की जिसमें उक्त न्यायालय ने दिनांक 06.12.2007 को यह कह कर स्वीकार कर दी कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के निर्णय की अपील राजस्व अपील अधिकारी को हो सकेगी, कलक्टर ने नामान्तकरण मे अनावश्यक हस्तक्षेप किया है। विचारण न्यायालय द्वारा दावा संख्या 471/1992 में पारित निर्णय दिनांक 29.05.1992 के विरूद्ध अपील संख्या 66/2022 धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। गलत नामान्तकरण की जानकारी होने पर अपीलान्ट लगातार न्यायालय में चाराजोही कर रहा है, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी की बहस के समय अपीलान्ट को अवगत करवाया गया है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं के निर्णय के खिलाफ अपील संधिग्ध करनी होगी, इस कारण से अपील निर्णय दिनांकित 29.05.1992 की अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर रहा है, तथा साथ में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा है, अपीलान्ट गलत नामान्तकरण संख्या 345 के खिलाफ आरम्भ से ही न्यायालय में चाराजोही कर रहा है व प्रकरण चल रहे है परन्तु अनभिज्ञता व संहवन मूल निर्णय की अपील अपीलान्ट नही कर पाया है अपीलान्ट गलत कोर्ट में चला गया प्रार्थी को दिनांक 16.05.2022 में जानकारी होने के कारण यह अपील दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत की गई है, जिसमें दफा 5 मियाद अधिनियम

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

का फायदा दिया जाकर अपील को अन्दर मियाद माना जाकर विधिनूसार निस्तारण के कम में ग्रहण किया जाना न्यायोचित है। उक्त कार्यवाही के दौरान अपीलान्ट को नुकसान पहुचाने की गरज से एक दावा उनवानी रामजीलाल बनाम बीरबल वगै. रेस्पोडेन्ट रामजीलाल ने अपीलान्ट को बीना पक्षकार बनाये मु.नं.. 90/2006 विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं के न्यायालय में प्रस्तत किया जिसमें अपीलान्ट ने जानकारी होने पर पक्षकार बनने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसको विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं ने अस्वीकार कर दावा दिनांक 08.11.2011 को प्राथमिक रूप से राजीनामा के आधार पर डिकी कर दिया तथा दिनांक 15.12.2011 को अंतिम डिकी कर दिया इस प्रकार से रेस्पोडेन्ट रामजीलाल अन्य रेस्पोडेन्टगण के साथ साज कर उक्त अनुसार दावा डिकी करवा लिया। उक्त अनुसार दावा डिकी होने पर अपीलान्ट ने प्राथमिक डिकी व अंतिम डिकी के खिलाफ राजस्व अपील अधिकारी सीकर की अदालत में अपील उनवानी शिशपाल बनाम रामजीलाल वगै. मु.नं. 153/2011 प्रस्तुत की जिसका निर्णय दिनांक 24.07.2012 को हुआ, राजस्व अपील अधिकारी महोदय ने अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं के प्राथमिक निर्णय दिनांक 08.11.2011 व अंतिम निर्णय दिनांक 15.12.2011 को निरस्त कर दिया व अपीलान्ट को पक्षकार बनाया जाकर पुनः निर्णय पारित किये जाने का आदेश इस न्यायालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं को दिया। जिसके खिलाफ रामजीलाल वगै. ने एक अपील संख्या 6545/2012 बउनवानी रामजीलाल बनाम शिशपाल वगै. न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर मे प्रस्तुत की थी। जहां से प्रकरण इस न्यायालय को धारा 96 सीपीसी निर्णित कर गुणावगुण पर निर्णय हेतु रिमांड होकर प्राप्त हुई है। जो अपील संख्या 154/2023 एवं 155/2023 के रूप में दर्ज की गई है। तीनों अपीलें स्वीकार की जाकर प्रकरण विधिक प्रकिया अनुसार सुनवाई कर गुणावगुण पर निर्णय हेतु प्रति प्रेषित किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील संख्या 66/2022 में तर्क दिया कि प्रकरण में सह कृषकों ने एक सहमति का शपथ पत्र उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें सह कृषकों के मध्य जोत के विभाजन के उपबन्धों को अभिलिखित किया गया तथा राजस्व अभियान के अन्तर्गत

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

जोत के विभाजन को प्रभाव देने के लिये उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उपखण्ड अधिकारी ने विभाजन के प्रार्थना पत्र को दावे के रूप में लिया तथा परीक्षण कर विभाजन अनुबन्ध के अनुसार दावा डिक्री किया तथा डिक्री के अनुसार अभिलेख में अमलदरामद के आदेश दिये। तदानुसार उपखण्ड अधिकारी के आदेश एवं अनुबन्ध के अनुसार जोत के विभाजन का नामांतकरण किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जोत के अभिलिखत सह कृषको द्वारा जोत के विभाजन की सहमति का अनुबन्ध उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी ने ऐसे प्रार्थना पत्र एवं जोत के अनुबन्ध को दावे के रूप में लिया जाकर जोत के विभाजन की डिक्री जारी की ओर उस डिक्री के अनुसार जोत के विभाजन का नामांतकरण किया गया है अपीलांट ने कहीं भी यह नहीं कहा कि उन्होंने अनुबन्ध पर सहमति व्यक्त नहीं की थी बल्कि उनकी अपील का यह आधार था कि उन्होंने कुछ भूमि क्रय करली थी और उस क्रय की गई भूमि को जोत के विभाजन में शामिल नहीं किया जाना चाहिये था। किसी एक सम्मिलित खाते का एक विशिष्ठ खसरा नम्बर यदि किसी सह कृषक ने क्रय कर लिया तो उसका अर्थ यह नहीं होता कि वह उस विशिष्ठ खसरा नम्बर का अलग से खातेदार कृषक हो गया बल्कि यह माना जावेगा कि जिस खाते से भूमि क्रय की गई है उस खाते मे क्रय की गई भूमि की सीमा तक क्रेता भी सह कृषक होगा। अभिलेख के अनुसार अभी ऐसी ही स्थिति जमाबन्दी संवत 2045 से 2048 में पक्षकार प्रश्नगत भूमि के सह कृषक अभिलिखित है और उन सह कृषकों की सहमति के अनुसार उपखण्ड अधिकारी ने डिक्री जारी की है एवं डिक्री के अनुसार ही नामांतकरण हुआ है। विचाराधीन डिक्री वर्ष 1992 में पारित की गई है। अपीलान्ट द्वारा इस डिक्री को 30 वर्ष के असाधारण विलम्ब से चुनौती दी गई है। अपील इसी स्तर पर खारिज योग्य है। अपील संख्या 154/2023 व 155/2023 के संदर्भ में तर्क दिया कि विवादित आराजी का समस्या समाधान शिवर में 29.05.92 को पक्षकारों के मध्य आपस में बंटवारा हो गया था बंटवारा के अनुसार नामान्तकरण संख्या 345 स्वीकार किया गया। अपीलान्ट का विवादित आराजी में कोई संबंध सरोकार नहीं है ये विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार नहीं है इस कारण विचारण न्यायालय में इन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया। राजस्व रिकार्ड में इनकी खातेदारी होती तो इन्हें पक्षकार बनाया जाता पर राजस्व रिकार्ड में

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

इनके नाम कोई खातेदार नहीं है। राजस्व रिकार्ड में जैसा जैसा हिस्सा था वैसा वैसा दावा डिक्री किया गया है। अपीलान्ट ने प्रारम्भिक डिक्री में कोई आपत्ति नहीं की। विभाजन प्रस्ताव में इनका कोई कब्जा नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अपीलांट प्रभावित पक्षकार नहीं है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 99, 84, 81, 106, 77 व 103/02 कुल रकबा 121 बीघा 17 बिस्वा, खेताराम स्व. गोपाल व स्व. गोरखा राम की पैतृक भूमि रही है, जिनका उक्त भूमि में प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा था। स्व. गोरखाराम के पुत्र स्व. हरलाल ने उक्त खसरा नम्बर की भूमियों में से खसरा नम्बर 77 में से अपने 1/3 हिस्से में से 10 बीघा 15 बिश्वा भूमि दिनांक 12.06.1972 को सरदाराराम पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी चन्दवा को विक्रय कर दी, तथा बाद में उक्त 10 बीघा 15 बिश्वा भूमि को सरदाराराम ने शिशपाल अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट श्रवण को विक्रय कर दी, इस प्रकार अपीलान्ट के खसरा नम्बर 77 में से 5 बीघा 7.5 बीश्वा भूमि अतिरिक्त हो गई, तथा अपीलान्ट ने अपनी खरीदशुदा भूमि का नामान्तकरण भी अपने हक में तस्दीक करवा लिया इस प्रकार से ग्राम चन्दवा में स्थित खसरा नम्बर 99, 80, 84, 81, 106, 77, 103/7 कुल रकबा 121 बीघा 17 बिश्वा में अपीलान्ट के पिता का 1/3 वां हिस्सा विरासतन है, तथा स्व खेताराम के अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नौरंगराम विधिक वारीस है, इस प्रकार उक्त आराजियात में अपीलान्ट का 1/3 से 1/2 वा हिस्सा विरासतन प्राप्त हुआ, तथा अपीलान्ट ने खसरा नम्बर 77 में से 5 बीघा 7.5 बीश्वा भूमि सरदाराराम से जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र कय कर ली। अतः अपीलान्ट के हिस्से में विरासतन 1/3 वे हिस्सा में से 1/2 वां हिस्सा तथा अतिरिक्त खरीदशुदा भूमि 5 बीघा 7.5 बिश्वा ओर अधिक हो गई व खरीदशुदा भूमि का नामान्तकरण भी अपीलान्ट के हक में तस्दीक हो गया था। दिनांक 09.05.1992 को गोपाल, हरलाल, श्रवण व रामजीलाल ने अपीलान्ट को मुगालते में रखकर कैम्प में खाता विभाजन हिस्से अनुसार करवाने की कहकर एक विभाजन अनुबन्ध मय प्रार्थना पत्र पेश करवाया।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

जिसमें अपीलान्ट द्वारा खरीदशुदा भूमि को भी शामिल कर दिया, तहसीलदार ने दिनांक 20.05.1992 को विभाजन अनुबन्ध सह खातेदारों के विभाजन की भूमि में अन्तर अधिक होना का अंकन कर इस विभाजन से सहमत नहीं होने की टिप्पणी के साथ विभाजन अनुबन्ध स्वीकार नहीं किया उसके बाद उक्त वर्णित व्यक्तियों ने दिनांक 20.05.1992 को कैम्प में दिये गये प्रार्थना पत्र को दिनांक 22.05.1992 को अपीलान्ट को बिना बताये दिनांक 20.05.1992 को पेश किया गया प्रार्थना पत्र पुनः विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं के समक्ष पेश कर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी को मुगालते में रख कर दिनांक 29.05.1992 को अपीलान्ट को बिना जानकारी दिये ही पूर्व में खारिज किये गये अनुबन्ध को स्वीकार करवा लिया, ओर अपीलान्ट की खरीदशुदा भूमि को स्व. गोपाल व रेस्पोडेन्ट श्रवण ने अपने हिस्से में दर्ज करवा लिया, तथा गलत रिकार्ड अपने हक में बनवा लिया, जबकि कायदे से अपीलान्ट के हक में सम्पूर्ण भूमि में से 1/3 वें हिस्से में से 1/2 वे हिस्से के अलावा खरीदी गई भूमि 5 बीघा 7.5 बिश्वा अतिरिक्त होनी चाहिए थी।

प्रस्तुत प्रकरण में गलत रिकार्ड बन जाने की जानकारी अपीलान्ट को होने पर अपीलान्ट ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं को प्रार्थना पत्र देकर विभाजन अनुबन्ध को निरस्त करने व दुबारा विभाजन हिस्से अनुसार करने का निवेदन किया, जिसको दिनांक 09.06.2006 को विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं ने नामान्तकरण संख्या 345 में हस्तक्षेप करने से ईन्कार कर दिया, व अपीलान्ट को नामान्तकरण के खिलाफ सक्षम अदालत में चाराजोही करने का निर्देश दिया। इस पर अपीलान्ट द्वारा धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्यों, गुणावगुण एवं न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील संख्या 66/2022 प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा दावा संख्या 471/92 में पारित विभाजन का निर्णय दिनांक 29.05.92 विधिक प्रकिया की पालना किये बिना अपीलान्ट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। अतः अपील संख्या 66/2022 स्वीकार की जाकर प्रकरण रिमांड किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

अपील संख्या 154/2023 व 155/2023 के संदर्भ में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दावा उनवानी रामजीलाल बनाम बीरबल वगै. रेस्पोडेन्ट रामजीलाल ने अपीलान्ट को बिना पक्षकार बनाये मु.नं. 90/2006 विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं के न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसमें अपीलान्ट ने जानकारी होने पर पक्षकार बनने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसको विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं ने अस्वीकार कर दावा दिनांक 08.11.2011 को प्राथमिक रूप से राजीनामा के आधार पर डिक्री कर दिया तथा दिनांक 15.12.2011 को अंतिम डिक्री कर दिया इस प्रकार से रेस्पोडेन्ट रामजीलाल अन्य रेस्पोडेन्टगण के साथ साज कर उक्त अनुसार दावा डिक्री करवा लिया। उक्त अनुसार दावा डिक्री होने पर अपीलान्ट ने प्राथमिक डिक्री व अंतिम डिक्री के खिलाफ राजस्व अपील अधिकारी सीकर की अदालत में अपील उनवानी शिशपाल बनाम रामजीलाल वगै. मु.नं. 153/2011 प्रस्तुत की जिसका निर्णय दिनांक 24.07.2012 को हुआ, राजस्व अपील अधिकारी महोदय ने अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं के प्राथमिक निर्णय दिनांक 08.11.2011 व अंतिम निर्णय दिनांक 15.12. 2011 को निरस्त कर दिया व अपीलान्ट को पक्षकार बनाया जाकर पुनः निर्णय पारित किये जाने का आदेश इस न्यायालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं को दिया। जिसके खिलाफ रामजीलाल वगै. ने एक अपील संख्या 6545/2012 बउनवानी रामजीलाल बनाम शिशपाल वगै. न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर मे प्रसुतत की थी। जहां से प्रकरण इस न्यायालय को धारा 96 सीपीसी निर्णित कर गुणावगुण पर निर्णय हेतु रिमांड होकर प्राप्त हुई है। इस संदर्भ में विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न विभाजन प्रस्ताव में तहसीलदार ने नोट अंकित किया है कि खसरा नम्बर 412 में शिशपाल पुत्र खेताराम जाट का 5 बीघा पर कब्जा है। तहसीलदार की रिपोर्ट से अपीलान्ट का कब्जा प्रथम दृष्टया प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट विचाराधीन वाद संख्या 90/2006 में प्रभावित पक्षकार होना साबित है। विचारण न्यायालय में अपीलान्ट को विचाराधीन वाद में साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील संख्या 154/2023 एवं 155/2023 को भी स्वीकार कर रिमांड किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील संख्या 66/2022, 154/2023 एवं 155/2023 स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.92, 08.11.2011 व 15.12.2011 को अपास्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को पक्षकार संयोजित कर जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.06.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 18/6/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

अनिल कुमार II RAS
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)